



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70



ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in

दिनांक: 01/09/2025

सेवा मे,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लॉट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
5. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
6. उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।

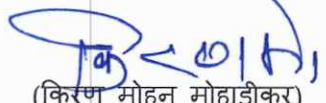
विषय: दिनांक 25/08/2025 को अपराह्न 02:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 25/08/2025 को अपराह्न 02:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

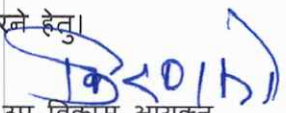

(किरण मोहन मोहाडीकर)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ
3. विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
4. सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
5. कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
6. उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
8. कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

: सूचनार्थ


उप विकास आयुक्त

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 25/08/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 25/08/2025 को अपराह्न 02:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड (पत्र दिनांक 23.09.2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्री ए के भूषण, डीडीजी, अपर कार्यालय विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीएलए, नई दिल्ली। और श्रीमती हेमलता हेडाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, अपर कार्यालय डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली
4. श्री दुर्गेश, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
5. श्री विवेक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री रजनीश कुमार, सीमा शुल्क अधीक्षक, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) प्रमोद कुमार, स्टैनो-1 और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 12/08/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 12/08/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 12/08/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) वी एस ट्रेडिंग कंपनी - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई इकाई की स्थापना।



2.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि वी एस ट्रेडिंग कंपनी के भागीदार श्री वरुण गुप्ता से दिनांक 24/08/2025 को एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि उनकी तबियत ठीक नहीं है और उन्होंने प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया है।

2.2. आवेदक के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। समिति ने परियोजना अनुभाग को आवेदक फर्म की वास्तविक प्रकृति, व्यावसायिक प्रक्रिया (कच्चा माल, पूंजीगत वस्तुएँ और तैयार माल, एचएस कोड और उनकी प्रक्रियाएँ सहित), आवेदक फर्म का स्थान, लैपटॉप और मोबाइल फोन के नवीनीकरण के व्यवसाय में उसके प्रवर्तकों का अनुभव और वित्तपोषण के स्रोत का विवरण प्राप्त करने का निर्देश दिया। समिति ने आगे निर्देश दिया कि आवेदक से उपरोक्त विवरण प्राप्त होने और कार्यसूची में देखी गई अन्य विसंगतियों का उत्तर मिलने के बाद ही प्रस्ताव को पुनः उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(3) सीक्वेल एलॉयज एंड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और एलओए में संशोधन।

3.1 इकाई के निदेशक श्री असित कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स सीक्वेल एलॉयज एंड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वीकृति पत्र (LOA) को अगले पाँच वर्षों के लिए अर्थात् 13/09/2030 तक नवीनीकृत कर दिया और स्वीकृति पत्र (LOA) में प्रस्तावित अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने को भी मंजूरी दे दी।

(4) शिनोक डेकोर - भंडारण के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त वस्तुओं/एचएस कोड को शामिल करना।

4.1 इकाई के भागीदार श्री कनव सिंगला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आईटीसी एचएस कोड 87089900 को छोड़कर, भंडारण के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त वस्तुओं/एचएस कोड को शामिल करने के इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

(5) श्री भोमिका इंटरनेशनल लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में भंडारण सेवाओं का व्यापक विस्तार।

5.1 इकाई के निदेशक श्री देवेंद्र बंसल ने आभासी माध्यम से बैठक में भाग लिया और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उनका आईईसी निष्क्रिय है और उन्होंने इसे सक्रिय करने के लिए आवेदन किया है। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला ने दिनांक 30/07/2025 के न्यायनिर्णयन आदेश के तहत मेसर्स कमोडिटीज ट्रेडिंग, कांडला एसईजेड और उसके

भागीदार श्री देवेंद्र बंसल के विरुद्ध दिनांक 28/09/2024 के एससीएन के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया है। हालाँकि, इसके घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) ग्राहकों पर जुर्माना लगाया गया है।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। समिति ने परियोजना अनुभाग को निर्देश दिया कि वह मेसर्स कमोडिटीज ट्रेडिंग, केएसईजेड के विरुद्ध जाँच की विस्तृत स्थिति की जानकारी डीसी, कांडला एसईजेड कार्यालय और कांडा कस्टम्स से प्राप्त करे। समिति ने परियोजना अनुभाग को इकाई की आईईसी सक्रिय करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।

(6) एवीवी मीडिया सर्विसेज एलएलपी - कार्यनिष्पादन की निगरानी।

6.1 अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी की और 31.03.2024 तक प्रथम ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि दर्ज की। अनुमोदन समिति ने पाया कि 31.03.2024 तक कोई विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं है। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग को वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए संशोधित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) प्राप्त करने का निर्देश दिया, जो वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों।

(7) हर्ष इंडस्ट्रीज - कार्यनिष्पादन की निगरानी।

7.1 अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी की और पाया कि इकाई ने 31.03.2024 तक पहले ब्लॉक के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय अर्जित की है। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि 31.03.2024 तक कोई विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं है।

(8) रॉयल एक्सपोर्ट्स - निष्पादन की निगरानी।

8.1 इकाई के भागीदार श्री राम चंद्र सोनी वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

8.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में, इकाई ने प्राप्ति के लिए 130.08 लाख रुपये की राशि लंबित दिखाई है। इकाई के प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ राशि प्राप्त हो गई है और शेष राशि के लिए उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से आवेदन किया है कि वे अपने खाते में लंबित निर्यात के विरुद्ध तीसरे पक्ष से धन प्रेषण स्वीकार करें क्योंकि जिन प्रेषितियों को उन्होंने निर्यात किया था, उन्होंने अपना व्यवसाय समाप्त कर दिया है।

8.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निगरानी को स्थगित कर दिया और इकाई को निर्देश दिया कि लंबित निर्यात आय की प्राप्ति के लिए समय-सीमा बढ़ाने हेतु आरबीआई की अनुमति की प्रति प्रस्तुत करें। समिति ने परियोजना अनुभाग को

निर्देश दिया कि वह इकाई से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद फाइल में मौजूद मामले की जाँच करे और उसे निगरानी के लिए पुनः उसके समक्ष प्रस्तुत करे।

(9) कपूर टेक्नोलॉजी - निष्पादन की निगरानी।

9.1 अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के निष्पादन की निगरानी की और पाया कि इकाई द्वारा 31.03.2024 तक पहले ब्लॉक के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय प्राप्त हुई है। अनुमोदन समिति ने पाया कि 31.03.2024 तक कोई विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं है।

(10) इम्पेटस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-II) - निष्पादन की निगरानी।

10.1 अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के निष्पादन की निगरानी की और पाया कि इकाई द्वारा 31.03.2025 तक दूसरे ब्लॉक के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय प्राप्त हुई है। अनुमोदन समिति ने पाया कि 31.03.2025 तक कोई विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं है। समिति ने परियोजना अनुभाग को निर्देश दिया कि वह सीए फर्म, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की टिप्पणियों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित वार्षिक दर (एपीआर) प्राप्त करे।

(11) सिनैप्स इंडिया आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड - प्रदर्शन की निगरानी।

11.1 अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी की और 31.03.2024 तक तीसरे ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि दर्ज की। अनुमोदन समिति ने पाया कि 31.03.2024 तक कोई विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं है। समिति ने परियोजना अनुभाग को निर्देश दिया कि वह सीए फर्म, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की टिप्पणियों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 और 2023-24 के लिए संशोधित वार्षिक दर (एपीआर) प्राप्त करे।

(12) भोली हार्डवेयर एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - कार्यनिष्पादन की निगरानी।

12.1 अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी की और 31.03.2024 तक तीसरे ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि दर्ज की। अनुमोदन समिति ने पाया कि वित्त वर्ष 2021-22 और 2023-24 के वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में 336.94 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित दिखाई गई है। समिति ने परियोजना अनुभाग को इकाई से सीए फर्म, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की टिप्पणियों के अनुसार वर्षों से लंबित विदेशी प्राप्ति की स्थिति और संशोधित वार्षिक शुद्ध लाभ (एपीआर) प्राप्त करने का निर्देश दिया।

(13) जे एंड एस एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और कार्यनिष्पादन की निगरानी।

13.1. इकाई के भागीदार श्री ध्रुव जालान बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि उन्होंने एचवी टेक्स्ट एंड गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से एक व्यक्तिगत ऋण लिया था जिसके लिए एचवी टेक्स्ट एंड गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त ऋण के विरुद्ध जमानत के रूप में अपनी एनएसईजेड इकाई के परिसर के दस्तावेज लिए थे। उन्होंने आगे बताया कि

उनके द्वारा एचवी टेक्स्ट एंड गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एनएसईजेड में प्लॉट का कोई विक्रय विलेख या हस्तांतरण निष्पादित नहीं किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उन्होंने एचवी टेक्स्ट एंड गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को मूल राशि का भुगतान कर दिया है और केवल ब्याज राशि का भुगतान करना बाकी है।

13.2 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि संपदा अनुभाग, एनएसईजेड ने एसईजेड प्रावधानों के उल्लंघन के लिए इकाई को दिनांक 23/06/2025 को कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किया है। इकाई ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 09.07.25 को ईमेल द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया है।

13.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स एरिमस लॉ एलएलपी और मेसर्स एचवी टेक्स्ट एंड गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को पत्र भेजकर उनके द्वारा 02.05.2025 को समाचार पत्र में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना की पृष्ठभूमि का विवरण माँगने का निर्देश दिया। समिति ने मामले में आगे की कार्रवाई के संबंध में वाईपी (कानूनी) से कानूनी राय लेने का भी निर्देश दिया।

13.4 समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इकाई ने कई अवसर दिए जाने के बावजूद कोई निर्यात नहीं किया था। इसके अलावा, इसने परिसर की जीर्ण-शीर्ण स्थिति पर भी ध्यान दिया। इसने विकास आयुक्त कार्यालय, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को फाइल पर उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया, जिसमें आर्थिक परिसंपत्ति के उपयोग न होने के कारण स्वीकृति पत्र (LOA) को रद्द करने पर विचार करना भी शामिल है। निर्णय, यदि कोई हो, को कार्यांतर अनुमोदन के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(14) टिनियस ऑलसेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में एचएस कोड 847420 के तहत माल के प्रेषण और निकासी का अनुरोध।

14.1 इकाई के प्रबंध निदेशक श्री अर्जुन उप्पल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने विशेष रूप से दो मदों, अर्थात् 'जबड़े क्रशर (एचएस कोड 84742000) और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर (एचएस कोड 85042100) के निर्माण को स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करने का अनुरोध किया।

14.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद तथा इकाई की लंबित घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) मंजूरी को ध्यान में रखते हुए, इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) में 'जबड़े क्रशर (एचएस कोड 84742000) और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर (एचएस कोड 85042100)

के निर्माण को शामिल करने का निर्णय लिया। समिति ने इकाई को निर्देश दिया कि वह लिखित रूप से प्रस्तुत करे कि वह स्वीकृति पत्र (LOA) में मर्दों/अन्य एचएस कोड, यदि कोई हों, को शामिल करे। समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त कार्यालय को फाइल में मौजूद अन्य आईटीसी एचएस कोड को स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करने पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(15) आरईएस एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्लॉट संख्या 162, 194 और 195 में स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के मेसर्स ट्रेड परफेक्शन्स को हस्तांतरण के लिए नियम 74ए के तहत अंतिम अनुमोदन और निकास से पहले कार्यनिष्पादन की निगरानी।

15.1 इकाई के प्रबंध निदेशक श्री राजेंद्र मिश्रा और उपाध्यक्ष-संचालन श्री ज्ञानेश सिंगला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

15.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पाया कि इकाई ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 (30.06.2025 तक) के दौरान कोई निर्यात नहीं किया है, हालाँकि इकाई ने 31/03/2022 तक की अंतिम ब्लॉक अवधि के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) हासिल किया था। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के अनुसार, कोई भी निर्यात आय प्राप्ति हेतु लंबित नहीं दिखाई गई है।

15.3 अनुमोदन समिति ने आगे विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 74ए के अंतर्गत मेसर्स आरईएस एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्लॉट संख्या 162, 194 और 195 स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के मेसर्स ट्रेड परफेक्शन्स को हस्तांतरण हेतु अंतिम अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: (i) मेसर्स आर.ई.एस. एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शेष निकास औपचारिकताओं को पूरा करना और डीसी द्वारा फाइल पर अंतिम निकास का अनुमोदन; (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान; और (iii) हस्तांतरिती द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करना। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को फाइल पर अंतिम निकास जारी करने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष की पूर्व सहमति से कार्यसूची प्रस्तुत:

(16). मेसर्स ट्राइडेंट कॉर्प - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करना।

16.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स ट्राइडेंट कॉर्प ने अपने पत्र दिनांक 20/08/2025 के माध्यम से अतिरिक्त भंडारण माल को अधिकृत कार्यों में शामिल करने के लिए आवेदन किया है। अनुमोदन समिति को यह भी सूचित किया गया कि चूँकि संयुक्त विकास आयुक्त (जेडीसी) का कार्यकाल पूरा होने पर उनके पदमुक्त होने के कारण, वर्तमान में संयुक्त विकास आयुक्त (जेडीसी) का पद रिक्त है, इसलिए अनुमोदन समिति के समक्ष रखे जाने से पहले इस प्रस्ताव पर क्षेत्रीय स्तर की समिति में अलग से चर्चा नहीं की जा सकती।

16.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के अधिकृत कार्यों में 'आईटीसी एचएस कोड 8707, 8708, 8713, 8714, 8715 के अंतर्गत माल के भंडारण' को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(किरण मोहन मोहादिकर)
उप विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त